राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(9)नविवि/3/2020 पार्ट

जयपुर, दिनांक :– 14 JUN 2021

आदेश

मॉडल राजस्थान {नगरीय क्षेत्र शहर का नाम.....(भवन विनियम)} 2020 के विनियम 6(f) में विनियम 3.0 के अनुसार निर्धारित एस–2 चार दीवारी क्षेत्र एवं विनियम 10.4 व 10.5 के तहत निर्धारित विशेष क्षेत्रों एवं विशेष सडकों को छोडकर शेष नगरीय क्षेत्रों में 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के सभी उपयोगों के भूखण्डों अथवा ऐसे भूखण्ड जिनमें अधिकतम 500 व.मी. निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित हो, में वास्तुविद/तकनीकीविद द्वारा प्रमाणित दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने एवं समस्त देय राशि संबंधित निकाय में जमा करने के पश्चात भवनों का निर्माण किया जा सकता है, का प्रावधान है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 500 व.मी. तक के प्रकरणों में पट्टा जारी करते समय ही भवन मानचित्र अनुमोदन के संबंध में आवश्यक शुल्क जमा कराया जाकर पट्टे के साथ ही निर्माण स्वीकृति जारी की जा रही है। एकरूपता की दृष्टि से यह प्रकिया सभी प्राधिकरणों, न्यासों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका में भी लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः एस–2 चारदीवारी क्षेत्र एवं विनियम 10.4 व 10.5 के तहत निर्धारित विशेष क्षेत्रों एवं विशेष सडकों को छोडकर शेष नगरीय क्षेत्रों में 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के सभी उपयोगों के भूखण्डों अथवा ऐसे भूखण्ड जिनमें अधिकतम 500 व.मी. निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित हो में पट्टा जारी करते समय ही आवश्यक भवन निर्माण संबंधी शुल्क जमा कराये जाकर निर्माण स्वीकृति जारी की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
6. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम